



2026:AHC:167031

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या- 21323 वर्ष 2026

श्रीमती राधिका और एक अन्य

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिपक्षी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता : संदीप कुमार मौर्य, शुभम शुक्ला

प्रतिपक्षी (गण) के अधिवक्ता : अजीत कुमार मिश्रा, अंशुल सेंगर, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 75

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

- 1- याचीगण के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान स्थायी अधिवक्ता की बात सुनी और पत्रावली का परिशीलन किया।
- 2- याचीगण की ओर से इस याचिका के माध्यम से, याचीगण एक परमादेश रिट जारी करने की माँग कर रहे हैं, जिसमें प्रत्युत्तरदातागण को, याचीगण के पति और पत्नी के रूप में शान्तिपूर्ण वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप न करने का निर्देश दिया जाय तथा संबंधित अधिकारियों को यह निर्देश देने की माँग की गयी है कि वे यात्रीगण को सुरक्षा प्रदान करें।
- 3- याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि याची संख्या 01 ने स्थानांतरण प्रमाण -पत्र की प्रतिलिपि एवं वाची संख्या 02 ने आधार कार्ड की प्रतिलिपि याचिका के साथ संलग्न किया है. जिनके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दोनों याचीगण बालिग हैं याचिका में दिए गए कथन याचीगण के संयुक्त हलफनामों द्वारा समर्थित हैं। इसके अलावा यह भी अनुरोध किया गया है कि निजी प्रत्युत्तरदाता और परिवार के अन्य सदस्य याचीगण द्वारा किए गए इस विवाह से नाराज हो गए हैं और उनके द्वारा याचीगण को धमकी दी जा रही है और उन्हें परेशान किया जा रहा है जिसके कारण याचीगण के जीवन को गंभीर खतरा है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4- याचीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि याचीगण ने अपने विवाह का पंजीकरण के लिए आवेदन कर दिया है जो याचिका के साथ संलग्न है।

5- याचीगण ने याचिका में कहा है कि वे पति-पत्नी के रूप में रह रहे हैं तथा उन्हें आशंका है कि निजी प्रत्युत्तरदाता अपने परिवार के सम्मान के लिए घोर उपहति कारित अथवा उन्हें खत्म कर सकते हैं, यदि यह न्यायालय उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं करता है तो उनका जीवन खतरे में पड़ सकता है।

6- प्रस्तावित आदेश पारित किए जाने के दृष्टिगत निजी प्रत्युत्तरदाता को नोटिस जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से इस रिट याचिका को न्यायालय के नियमों के अनुसार इस स्तर पर अन्तिम रूप से निस्तारण किया जा रहा है।

7- माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई निर्णयों में यह कानून तय किया है कि जहाँ एक लड़का और लड़की बालिग हैं और वे अपनी स्वतंत्र इच्छा से एक साथ रह रहे हैं तो उनके माता-पिता सहित किसी को भी उनके साथ रहने में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में ज्ञान देवी बनाम अधीक्षक, नारी निकेतन, दिल्ली और अन्य (1976) 3 एससीसी 234; लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य (2006) 5 एससीसी 475; भगवान दास बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली), (2011) 6 एससीसी 396, जिसका सर्वोच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा लगातार अनुसरण किया गया है, साथ ही इस न्यायालय द्वारा दीपिका और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2013 (9) एडीजे 534 में भी इसका अनुसरण किया गया है। ज्ञान देवी (पूर्व) में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया है:

“याचिकाकर्ता की जन्मतिथि चाहे जो भी हो, यह तथ्य बना रहता है कि वह वर्तमान में 18 वर्ष से अधिक आयु की है। चूंकि याचिकाकर्ता कानूनी रूप से बालिग है, इसलिए उसके साथ रहने वाले व्यक्ति के चुनाव पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती, न ही उसके रहने के स्थान पर कोई प्रतिबंध लगाया जा सकता है। न्यायालय या याचिकाकर्ता के रिश्तेदार भी इस प्रकरण में याचिकाकर्ता की राय या पसंद को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते।”

8- मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत इस न्यायालय का मत है कि याचीगण एक साथ रहने की लिए स्वतंत्र है तथा किसी भी व्यक्ति को उनके शान्तिपूर्ण जीवन निर्वाह करने में

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि याचीगण के शान्तिपूर्ण जीवन निर्वाह में कोई व्यवधान उत्पन्न होता है तो याचीगण संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (प्रत्युत्तरदाता सं० 2) से इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ संपर्क करेंगे, और उक्त प्रत्युत्तरदाता सं० 2 को निर्देशित किया जाता है कि वे याचीगण को तत्काल सुरक्षा प्रदान करेंगे।

9- निजी प्रत्युत्तरदाता को यह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि यदि याचीगण द्वारा अभिलेख पर लाए गए दस्तावेज मनगढ़न्त या फर्जी हैं तो वे इस आदेश को वापस लेने के लिए रिकॉल आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

10- चूंकि (2006) 2 एससीसी 578 और (2008) 1 एससीसी 180 सीमा (एसएमटी.) बनाम अश्वनी कुमार, मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार विवाह का पंजीकरण अनिवार्य है, इसलिए याचीगण आज से 02 माह के अन्दर अपने विवाह का पंजीकरण कराने का वचन देते हैं।

11- यदि याचीगण उपरोक्त निर्धारित अवधि के भीतर अपने विवाह का पंजीकरण नहीं करा पाते हैं तो इस आदेश के तहत दी गयी सुरक्षा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।

12- यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने याचीगण के कथित विवाह पर कोई निर्णय नहीं दिया है और यह आदेश किसी भी तरह से याचीगण के विवाह की वैधता के बारे में कोई राय नहीं व्यक्त करता है।

13- उपरोक्त टिप्पणियों के साथ यह रिट याचिका निस्तारित की जाती है। मूल्य के बारे में कोई आदेश नहीं पारित किया जा रहा है।

(न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

10 अगस्त 2026

एस.मिश्रा